न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 81/2024

सुरेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति मेघवाल निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)
9587088914

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील गण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 15.05.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 66 के वर्तमान खसरा नम्बर 590 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 592 रकबा 1.14 हैक्टर कुल किता 3. कुल रकबा 5.18 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी के पिता प्रभुदयाल व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी उसके पिता एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों की गलती व भूल से प्रार्थी केविक नाम प्रभुदयाल पुत्र सुरजा की जगह श्रवण पुत्र सुरजा वर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही राजस्व रिकार्ड में नाम प्रभुदयाल पुत्र सुरजा है और गांव में लोकल नाम श्रवण के नाम से आता जाता था। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजास्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सही दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। प्राथर्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु होने पर फौती नामांतकरण दर्ज करवाने के लिए दिनांक 22/08/2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है। वाद कारण दिनांक 22/08/2024 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगेर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।

अत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राथर्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 66 के वर्तमान खसरा नम्बर 590 रकबा 1.16 हैक्टर, खरारा नम्बर 591 रकबा 2.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 592 रकबा 1.14 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 5.18 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण पुत्र सुरजा की जगह सही नाम प्रभुदयाल पुत्र सुरजा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम हेतमसर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 66 में प्रार्थीगण का के पिता नाम श्रवण पुत्र सुरजा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीगण का के पिता का नाम प्रभूदयाल पुत्र सुरजा है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम हेतमसर के राजरव रिकार्ड में खाता संख्या 66 में प्रार्थी कके पिता का नाम श्रवण पुत्र सुरजा दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम प्रभुदयाल पुत्र सुरजा है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम हेतमसर के खाता संख्या 66 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रवण पुत्र सुरजा के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र सुरजा कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी